


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 21/01/2021
फा.क्र. 441/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में श्रीमती आभा मिश्रा, अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21/01/2021

पृ० क्रमांक 441/21-ब(दो)
प्रतिलिपि,

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. निज सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर,
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/टी.एम., मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर दो प्रतियों में,
6. उप नियंत्रक शासन, केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
7. श्रीमती आभा मिश्रा, अधिवक्ता, ग्वालियर द्वारा महाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर,
8. आई.टी. प्रकोष्ठ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित,
मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग